13/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.।
वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस
सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों
एवं दस्तावेजों साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक
अवलोकन किया गया। अवलोकन एवं
मनन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। निर्णय की पालनार्थ
हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

Reader
Check & Report
09/10

सेवामें,

श्रीमान् न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी बापिणी

जिला फलौदी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या/2024/

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोहनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी पडासला,तहसील–बापिणी जिला फलौदी।		1. लिखमाराम दतक पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी पडासला तहसील बापिणी जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार बापिणी जरीये भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पैमाईस कर पत्थरगढी करवाने बाबत।

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से दरख्वास्त पेश कर निम्न निवेदन है कि :–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पडासला के राजस्व ग्राम पडासला में खसरा नम्बर 712/2 रकबा 4.0145 हैक्टेयर, एवं अप्रार्थीगण पडौसियों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 712 रकबा 4.0226 हैक्टेयर की जमीने आयी हुई है। जिनकी चालू चौसाला जमाबन्दी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

2. यह है कि प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही पुर्व दिशा में खसरा नम्बर 712 रकबा 4.0226 हैक्टेयर जमीन अप्रार्थीगण संख्यां 01 के नाम की खातेदारी भूमि पडौस में आयी हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी के मध्य सीमाचिन्ह नदारद होने के कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश/सिमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं।

3. यह है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि की पैमाईश करवाकर कणा माट के चिन्हों के अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई फसल की आवारा पशुओ से सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करने के लिए पत्थर के खम्भे लाकर डाले गये ओर पत्थर रोप कर सुरक्षा करना चाहता हैं। और प्रार्थी ने दिनांक 26.09.2024 को वर्तमान कणे–माट पर खुटे रोपने से अप्रार्थी ने मौके पर आकर कणा माट के मुटामो पर पत्थर रोपने से मना कर दिया ओर ऐलानिया धमकी देते हुऐ कहा की हम किसी भी सुरत में पत्थर गाडनें नहीं देगे। ओर न ही इस वर्तमान कणे के मुटामो को मानते है इस सिमा पर कोई जाली तारबन्दी या पत्थर रोपने नहीं देगे। प्रार्थी ने अप्रार्थी को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन अप्रार्थी माने नहीं। इसलिए विवाद उतपन्न हो से मजबुर विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

4. यह है कि अप्रार्थी आये दिन सिमाचिन्ह को लेकर प्रार्थी से वाद विवाद करने के लिए उतारू रहते है। इसलिए प्रार्थी अपने खेत में फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी नहीं करवा पा रहा है जिससे प्रार्थी के लाखो रूपये की किमती फसल आवारा पशुओ द्वारा नष्ट की जा रहीं है। पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

5. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश दिनांक 08.07.2024 को करके नाम अनुसार सहमति से पत्थर खडें करवाने की बात करने पर भी पड़ौसी खातेदार नहीं मानें। ओर पुराने सिमा–चिन्हे मुटामो को पड़ौसी खातेदारो द्वारा नष्ट कर दिये गये ओर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के निशानात पर पत्थर रोपने से पड़ौसी खातेदारान ने साफ मना कर दिया ओर विवाद करने लग गये जिससे मजबुर विवश होकर अपनी खातेदारी भूमि का पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

6. यह है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की कणा माठों पर सीमा चिन्ह के आधार पर पत्थर गढढी करवाना चाहता है तथा पत्थर गढढी हो जाने से प्रार्थी की भुमि का समूचित विकास एंव खेत की सुरक्षा हो सकें फसलों को नुकशान से बचाया जा सके और पड़ौसी के बीच अनावश्यक सिमा विवाद उत्पन्न होने से बचने के लिए स्वंम के खेत की कृर्षि भुमि की पत्थर गढढी करवाने का अधिकारी है और पड़ौसी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद ज्यादा नहीं बढे इसलिए राजस्व टिम से सीमाकनं व पत्थर गढढी करवाना चाहते है।

7. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पड़ौसी खातेदार के मध्य अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है इससे तंग–हेरान् परेशान होकर मजबूर एवं विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है ताकि विवाद और आगे अधिक नहीं बढे। और यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया जा कर सिमाकन टीम गठित कर पत्थर गढढी करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

8. यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार बापिणी विवाद ग्रस्त भूमि का लैण्ड होल्डर होने से प्रफोर्मा आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं मांगा है।

9. यह है कि वादग्रस्त भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पडासला में स्थित होने से तमाम प्रकार के राजस्व प्रार्थना पत्र को सुनवायी का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

10. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भुमि की पैमाईस कर पत्थरगढी कायम करने बाबत नियमानुसार कोर्ट फिस के अलावा फर्द तलबना पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पडासला के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 712/2 रकबा 4.0145 हैक्टेयर भूमि की पुर्वी दिशा की सीमा अर्थात प्रार्थी की भूमि एवं अप्रार्थी की भूमि के मध्य की सीमा की पैमाईस राजस्व टीम गठीत करवाकर, सीमांकन किया जाकर पत्थर गढी करवाने का आदेश तहसीलदार बापिणी को प्रदान करावें और मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भार साधक अधिकारी मतौडा को मौके पर जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए पाबन्द करावें। आपकी अति कृपा होगी। इति दिनांक 27/09/2024

राजूराम सैंथरी (पल्ली)
एडवोकेट